

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्न तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19 और वि.व. 2017-18 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	25,67,917	23,64,148
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	11,37,718	10,02,738
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ³	9,42,747	9,16,445
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	4,86,389	4,41,383
iv. अनुदान सहायता और योगदान	1,063	3,582
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां⁴	94,979	1,00,049
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली⁵	30,257	70,639
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां⁶	67,58,482	65,54,002
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	94,51,635	90,88,838

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को संघ वित्त लेखों से लिया गया है। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपे गए वि.व. 2018-19 में ₹ 7,61,454 करोड़ और वि.व. 2017-18 में ₹ 6,73,005 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 वि.व. 2018-19 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों और कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा होती है। वि.व. 2018-19 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 44.3 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 13.5 प्रतिशत बढ़ा था।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं,

- कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;
- व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);

³ अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगाया गया जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

⁴ इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

⁵ संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

⁶ भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां;

iii. प्रतिभूति लेनदेन कर⁷, धनकर⁸ आदि सहित अन्य प्रत्यक्ष कर।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	₹ करोड़ में				
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	6,95,792	7,42,012	8,49,801	10,02,738	11,37,718
निगम कर	4,28,925	4,53,228	4,84,924	5,71,202	6,63,571
आय कर	2,58,374	2,80,390	3,40,592	4,08,202	4,61,652
अन्य प्रत्यक्ष कर	8,493	8,394	24,285	23,334	12,495
2. प्रतिदाय	1,12,163	1,22,596	1,62,582	1,51,639	1,61,037
	संख्या लाख में				
3. फाईल किए गए वास्तविक रिटर्न					
क. गैर-निगमित निर्धारितियों	360.6	398.0	436.9	537.9	619.8
ख. निगमित निर्धारितियों	6.8	6.9	7.1	8.0	8.5
4. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	4,148	4,689	5,623	6,172	7,168
स्रोत: क्रम सं. 1 और 4 संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 सीबीडीटी					

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.3: गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ⁹	ख ₁ ¹⁰	ख ₂ ¹¹	ग ¹²	घ ¹³	कुल
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
स्रोत: सीबीडीटी; यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल किए गए रिटर्न के आधार पर हैं।						

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2017-18 में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3 और चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व.

⁷ भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

⁸ निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2 (ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

⁹ श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 2 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;


¹⁰ श्रेणी 'ख'₁ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹¹ श्रेणी 'ख'₂ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परन्तु ₹ 10 लाख से नीचे आय/हानि वाले निर्धारण;

¹² श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण

¹³ श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती निर्धारण

2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 के दौरान श्रेणी 'ख₁', श्रेणी 'ख₂' और श्रेणी 'ग' में 11.8 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत और 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्षों की तुलना में वि.व. 2017-18 के दौरान 24.3 प्रतिशत, 27.8 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान गैर-निगमित करदाताओं में 71.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान गैर निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 78.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, कर संग्रह में वृद्धि गैर-निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।




1.2.4 निम्न तालिका 1.4 में आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.4 : निगमित निर्धारिती								(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ¹⁴	ख ₁ ¹⁵	ख ₂ ¹⁶	ग ¹⁷	घ ¹⁸	कुल	रु 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च को आरओसी के अनुसार करने वाली कंपनियां
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44	11.11
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00\$	7.99	1.31	10.49
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00@	8.46	1.45	11.56

स्रोत: सीबीडीटी यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती; # 134 निर्धारिती; \$ 195 निर्धारिती; @ 146 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों में वि.व. 2017-18 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान निगमित करदाताओं में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 54.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, कर संग्रह में वृद्धि निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।



¹⁴ श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁵ श्रेणी 'ख₁' निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁶ श्रेणी 'ख₂' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁷ श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁸ श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)¹⁹ के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़े की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाईलर्स के साथ तुलना से पता चला कि आयकर विभाग द्वारा पहचाने गए नॉन फाईलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं था। वि.व. 2017-18 के अनुसार, आरओसी में 10.49 लाख कम्पनियां पंजीकृत थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2018-19 में, केवल 8.5 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि उठाने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधान के अनुसार अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, जबकि आरओसी में ऐसी पंजीकृत कार्यरत कंपनियों ने वि.व. 2016-17 में 28.0 प्रतिशत के विपरीत वि.व. 2017-18 में 19.4 प्रतिशत ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखना है।

1.3.2 31 मार्च 2019 को आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या और कार्यरत संख्या क्रमशः 76,243 तथा 46,264 थी। अधिकारियों²⁰ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,858 और 9,706 थी। वर्ष 2018-19 के लिए आईटीडी का राजस्व व्यय ₹ 7,168 करोड़²¹ था।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुसारी वास्तविक से तुलना राजकोषीय

¹⁹ स्रोत: कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

²⁰ प्र. सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी/एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओ

²¹ वि.व. 2018-19 के संघ वित्त लेखे।

प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक आंकड़े अप्रत्याशित और अनियमित रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

1.4.2 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2

स्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 संशोधित अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-)5.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक थी। वि.व. 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भिन्नता संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भिन्नता की तुलना में अधिक थी।

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान सकल कर प्राप्तियों²² (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

²² इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डीटी
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	52.2	1,67,73,145	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	54.7	1,90,10,164	6.0

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वि.व. 2018-19 के लिए जीडीपी - 31 मई 2019 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रैस नोट।

1.5.2 यद्यपि, वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में डीटी में 13.5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में (2.4 प्रतिशत) वृद्धि हुई। वि.व. 2016-17 में 5.6 प्रतिशत की तुलना में प्रत्यक्ष कर वि.व. 2018-19 और वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का 6.0 प्रतिशत था।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	जीडीपी	पिछले साल की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6	1,25,41,208	10.5
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5	1,35,76,086	8.3
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	1,51,83,709	11.8
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3

स्रोत: संघीय वित्तीय लेखे

1.5.4 वि.व. 2017-18 में आयकर में 19.9 प्रतिशत तथा निगम कर में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में निगम कर में 16.2 प्रतिशत तथा आय कर में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। डीटी (13.5 प्रतिशत) और निगम कर (16.2 प्रतिशत) की वृद्धि 2018-19 में जीडीपी की वृद्धि से अधिक थी जो 13.3 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण

कर के माध्यम से निर्धारण-पूर्व संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण चरण के माध्यम से किया गया कर संग्रह निर्धारण पश्च पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम और आयकर का संग्रहण								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (काँ.2 + 3 + 4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (काँ. 5+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	79.8	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,43,144	4,06,769	68,160	8,18,073	82.8	74,138	95,887	9,88,098
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,04,897	11,31,043
2018-19	4,50,769	5,27,529	84,174	10,62,471	82.6	99,032	1,24,757	12,86,260

स्रोत: प्र.सीसीए, सीबीडीटी। अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.5.7 तालिका 1.8 में दर्शाया गया है कि निर्धारितियों (निर्धारण-पूर्व चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन से वि.व. 2018-19 में निगम और आयकर के कुल संग्रहण का 2014-15 में 79.8 प्रतिशत के प्रति 2018-19 में 82.6 प्रतिशत तक संगणित की गई जबकि नियमित निर्धारण (निर्धारण के बाद) द्वारा संग्रहण 2014-15 में कुल संग्रहण के 10 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 7.7 प्रतिशत तक रह गया। यह दर्शाता है कि निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन जोकि वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा था, इसके बाद यह स्थिर रहा।

1.5.8 प्रतिदायों की प्रवृत्ति

जब देय कर राशि से अधिक कर राशि अदा की जाती है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। आयकर विभाग समय-समय पर निर्धारितियों को यह प्रतिदाय जारी करता है। नीचे तालिका 1.9 में वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किये गये प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति और राजस्व संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति							(₹ करोड़ में)	
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर			
		सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता	सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता	
2016-17	जून 2016	1,05,330	51,320	48.7	74,081	7,257	9.8	
	सितंबर 2016	1,49,278	16,499	11.1	90,935	13,526	14.9	
	दिसंबर 2016	1,57,724	24,232	15.4	93,954	13,946	14.8	
	मार्च 2017	1,93,273	28,630	14.8	1,23,523	7,172	5.8	
	कुल	6,05,605	1,20,681	19.9	3,82,493	41,901	11.0	
2017-18	जून 2017	1,11,789	44,530	39.8	87,685	11,269	12.9	
	सितंबर 2017	1,56,759	16,113	10.3	99,112	7,682	7.8	
	दिसंबर 2017	1,84,392	17,180	9.3	1,09,388	14,915	13.6	
	मार्च 2018	2,27,400	31,315	13.8	1,54,714	8,831	5.7	
	कुल	6,80,340	1,09,138	16.0	4,50,899	42,697	9.5	
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1	
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2	
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6	
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3	
	कुल	7,69,399	1,05,828	13.8	5,16,861	55,209	10.7	

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रहण का क्रमशः 48.7 प्रतिशत, 39.8 प्रतिशत और 47.9 प्रतिशत, उक्त तिमाही के दौरान प्रतिदाय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का क्रमशः 42.5 प्रतिशत, 40.8 प्रतिशत और 57.7 प्रतिशत का प्रतिदाय कर दिया गया। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदाय आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में अधिक हैं। इस अधिक प्रतिदाय का संभावित कारण अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विगत वित्तीय वर्षों के दौरान विभाग द्वारा उठाई गई अत्यधिक मांग हो सकती थी। 2017 की हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 40 के अध्याय V में अत्यधिक मांग का मामला भी उठाया गया है। आयकर विभाग द्वारा मामले की जांच की जा सकती है।

1.5.9 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन-सीबीडीटी द्वारा विनियमन के बिना करों की धन वापसी पर ब्याज पर किए गए व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) यह अनुबंध करता है कि विधि द्वारा विनियोग किए बिना समेकित निधि से कोई धनराशि निकाली नहीं जा सकती। अधिक कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान समेकित निधि पर भारित है और कानून द्वारा किए गए विनियोग के अंतर्गत अधिकृत होने के बाद ही देय है। संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अनुसार, संसद द्वारा पारित विनियोग कानून के बिना किसी भी विधायी प्राधिकारी को अधिक कर के जमा/ वापसी पर ब्याज वापस लेने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, डी एफ पी आर का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णित करता है।

राजस्व विभाग/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग (सीबीडीटी) ने उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त कर के वापसी पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है और इस गलत प्रथा पर केंद्र सरकार के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी की प्रतिवेदन में भी बार-बार टिप्पणी की गई है। परन्तु विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस मुद्दे की जांच लोक लेखा समिति (पीएसी) ने की थी और पीएसी ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में संसदीय अनुमोदन के बिना आयकर वापसी पर ब्याज भुगतान के लिए समेकित निधि से धन आहरण को अस्वीकृत किया। बाद में, उनकी अनुवर्ती रिपोर्ट (96वीं रिपोर्ट, 15वीं लोकसभा 2013-14, दिनांक 31 जनवरी 2014) में माननीय महान्यायवादी (6 मई 2013) की संशोधित राय और बाद में इनकी गवाही पर विचार करने के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान में व्यय के प्राधिकरण के तरीके या समेकित निधि से धनराशि आहरण में कोई संदेह नहीं है और इसप्रकार राजस्व विभाग के पास अनुच्छेद 114 और 115(1)(ए) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन द्वारा या अनुच्छेद 115(1)(बी) के अधीन संसद से कार्योत्तर अनुमोदन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएसी द्वारा इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करने तथा सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद वर्ष 2018-19 में वापसी पर ब्याज के लिए बजट प्राक्कलन में बजट प्रावधान और भुगतान के लिए संसदीय अनुमोदन नहीं लिया गया।

वर्ष के दौरान रिफंड पर ब्याज में ₹ 20,566.33 करोड़ की धनराशि का व्यय किया और इस तरह के भुगतान को राजस्व में कमी के रूप में दिखाया गया था।

विभाग ने अपने जवाब (जनवरी 2017 और जनवरी 2019) में माननीय महान्यायवादी की दिनांक 6 मई 2013 की कानूनी राय को दोहराते हुए कहा कि अतिरिक्त कर और उस पर ब्याज की वापसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक व्यय नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि माननीय महान्यायवादी की उपरोक्त राय के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन के साथ विभाग ने पीएसी (15वीं लोकसभा) की 96वीं प्रतिवेदन में शामिल अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में हांलाकि देखा गया कि पीएसी ने अपनी अनुशंसा बनाते समय पहले ही माननीय महान्यायवादी की राय पर ध्यान दिया था और इंगित किया कि माननीय महान्यायवादी ने कहा था कि “एक राय अंततः एक राय है और यह समिति का दायित्व है जो यह तय करें कि सही प्रक्रिया क्या है”।

1.6 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से ‘कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता’ कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित करदाताओं और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। तालिका 1.9 वि.व.

2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3	9.1
2017-18	1,83,580	1.1	18.3	9.6
2018-19	2,13,225	1.1	18.7	10.3

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ें वि.व. 2018-19 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा 31 मार्च 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की गई, 2,18,787 रिटर्न के संबंध में ₹ 5,03,783 करोड़ प्रयोग किये गये थे। स्रोत: संबंधित प्राप्त बजट

वि.व. 2019-2020 के प्राप्त बजट में बताये अनुसार, 34.4 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के विपरीत वि.व. 2017-18 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 29.5 प्रतिशत थी।

1.6.4 वि.व. 2018-19 में दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन के संबंध में धारा 80सी के अंतर्गत विशेष निवेश और भुगतान (₹ 75,244 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यहास (₹ 59,474 करोड़), धारा 10ए के अंतर्गत एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 24,839 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 15,677 करोड़), धारा 35(1), (2एए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 11,022 करोड़) थीं।

1.6.5 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में वि.व. 2014-15 में ₹ 1,18,593 करोड़ से वि.व. 2018-19 में ₹ 2,13,225 करोड़ तक 79.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि यह कर प्रोत्साहन वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परंतु डीटी और जीटीआर में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के भाग में वृद्धि क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत थी। वि.व. 2015-16 और वि.व. 2016-17 में 1.0 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2018-19 और वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 1.1 प्रतिशत था।

1.7 बकाया मांग

1.7.1 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 की अवधि के दौरान लंबित मांग की बकाया राशि की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.10: मांग का बकाया					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	विगत वर्षों की मांग का बकाया	चालू वर्ष की मांग का बकाया	मांग का कुल बकाया	मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग	निवल संग्रहणीय मांग
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032	27,116
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	21,955
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	14,963
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	14,593

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)।

1.7.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया गया अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/ वसूली हेतु अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, टीडीएस/किए गए पूर्व बेमेल भुगतान कर आदि, जिनके कारण मुश्किल से वसूल की जाने वाली यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2017-18 में 98.2 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2018-19 में मांग के कुल बकाया का 98.8 प्रतिशत आंकी गई। यद्यपि, वि.व. 2017-18 (₹ 11,14,182 करोड़) की तुलना में कुल बकाया मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 12,34,078 करोड़ होकर 10.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि के कारण निवल संग्रहण योग्य मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 20,159 करोड़ की तुलना में वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ तक घट गई। वि.व. 2018-19 में, मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि उक्त वर्ष के दौरान कुल बकाया मांग में वृद्धि से ₹ 5,566 करोड़ अधिक थी।

1.8 अपील मामलों के निपटान

1.8.1 तालिका 1.11 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु	निपटाए गए	लंबित	प्रतिशतता में	अपील मामलों में
	बकाया अपील मामले	अपील मामले	अपील मामले	लम्बन	
(संख्या लाख में)					(₹ करोड़ में)
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806

स्रोत: सीबीडीटी

1.8.2 वि.व. 2018-19 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के राजस्व घाटे से अधिक है।

1.8.3 तालिका 1.12, वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.12 आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों / सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील (₹ करोड़ में)								
वित्तीय वर्ष	आईटीएटीज		उच्च न्यायालयों		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2014-15	37,506	1,45,535	34,281	37,684	5,661	4,654	77,448	1,87,873
2015-16	32,834	1,35,984	32,138	1,61,418	5,399	7,092	70,371	3,04,494
2016-17	37,968	1,43,771	38,481	2,87,818	6,375	8,048	82,806	4,39,637
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	उपलब्ध नहीं	38,539	1,36,465	4,425	74,368 [#]	1,35,169	2,10,833

स्रोत: सीबीडीटी # निर्धारित द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों की राशि उपलब्ध नहीं हैं।

1.8.4 आईटीएटी के पास लंबित मामलों में वि.व. 2017-18 (37,572 मामलों) की तुलना में वि.व. 2018-19 में 92,205 तक की अभिप्रायपूर्ण वृद्धि हुई। उच्च स्तरों पर (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/ सर्वोच्च न्यायालय), कुल लंबित मामलों में वि.व. 2017-18 में 0.82 लाख मामलों की तुलना में वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख तक की वृद्धि हुई।

1.9 तलाशी एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

तलाशी एवं जब्ती²³ तथा सर्वेक्षण²⁴, मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आयकर विभाग के अधिकार में है। निम्न तालिका

²³ किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी एवं जब्ती की जाती है।

²⁴ किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो आयकर विभाग के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

1.14, वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 तक के दौरान किए गए तलाशी एवं जब्ती प्रचालनों तथा सर्वेक्षण और स्वीकृत/पता लगाई गई अप्रकटित आय को दर्शाती है।

तालिका 1.13: तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	तलाशी किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई आय (तलाशी और जब्ती में)	अप्रकटित किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय (सर्वेक्षणों में)
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126

स्रोत:जांच स्कंद, सीबीडीटी

वि.व. 2018-19 के दौरान, वि.व. 2017-18 से संबंधित आंकड़ों की तुलना में तलाशी एवं जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 16.8 प्रतिशत तक बढ़ी और सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय में 67.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.10 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.10.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2017-18 में लेखापरीक्षित 1,89,409 मामलों के प्रति वि.व. 2018-19 में 1,62,467 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.10.2 तालिका 1.14 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.14: आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)								
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
2014-15	20,834	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); ^मार्च को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

1.10.3 वि.व. 2017-18 में 6,267 मामलों में से 1,613 मामलों (25.7 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई 7,818 मुख्य आपत्तियों के मामलों²⁵ में से एओ (निर्धारण अधिकारी) ने, वि.व. 2018-19 में केवल 1,923 मामलों (24.6 प्रतिशत) पर कार्य किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के फोलो अप में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

²⁵ 2017 के निदेश सं. 6 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा को ₹ दो लाख से ₹ 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।